न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर एवं अति.जिला मजिस्ट्रेट–प्रथम, जयपुर

परिवाद संख्याः 14/2017

सरकार जरिये श्याम सुन्दर शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर।

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री मृदुल बडाया पुत्र श्री अनील बडाया (व्रिकेता)
   मैसर्स लकडाजी फूड एण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज,
   जी–1–3, रीको इण्ड0 ऐरिया, बस्सी, एक्स0 बस्सी,
   जिला जयपुर।
2. श्री सीताराम बडाया (पार्टनर)
   मैसर्स लकडाजी फूड एण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज,
   जी–1–3, रीको इण्ड0 ऐरिया, बस्सी, एक्स0 बस्सी, जिला जयपुर।
3. श्री अनील बडाया (पार्टनर)
   मैसर्स लकडाजी फूड एण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज,
   जी–1–3, रीको इण्ड0 ऐरिया, बस्सी, एक्स0 बस्सी,
   जिला जयपुर।

... अप्रार्थी–अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (2)/52
एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011

—

निर्णय दिनांकः 26/06/2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री श्याम सुन्दर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 01.08.2017 को समय सायंकाल 04.15 बजे अपनी टीम के साथ मैसर्स लकड़ाजी फूड एण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज, जी–1–3, रीको इण्ड0 ऐरिया, बस्सी, जिला जयपुर पर पहुॅचे। वहां पर श्री मृदुल बडाया पुत्र श्री अनील बडाया उपस्थित मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पूछने पर श्री मृदुल बडाया ने स्वयं को उक्त संस्थान का विक्रेता होना बताया। उक्त संस्थान की निर्माण/पेकिंग ईकाई का निरीक्षण करने पर 4 प्लास्टिक के कट्टे में (प्रत्येक कट्टे में 80 सील्ड पोली पाउच 500 ग्राम वाले) बारीक बेसन (लकडाजी) आम जनता को विक्रय करने हेतु रखे हुए थे।

मोहन शर्मा के हस्ताक्षर कराये एवं आवेदक स्वयं खाघ सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रतियॉ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ कर, सुना कर एवं समझा कर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री मृदुल बडाया ने भी पढ कर समझ कर व सही मान कर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति विक्रेता श्री मृदुल बडाया को देकर रसीद प्राप्त की, फार्म संख्या 5 ए एवं फर्द रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के संलग्न है। खरीद शुदा बारीक बेसन (लकडाजी) 500 ग्राम वनज वाले 04 सील्ड पॉलि पाउचों पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर के कोड एवं कमांक **Ac-1460** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर की हस्ताक्षशुदा पेपर स्लिप नं. **Ac-1460** नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपका कर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पहुॅच कर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो प्रार्थना पत्र के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त कि है। आवेदक खाद्य सुरक्षा

वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ बारीक बेसन (लकडाजी) मिसब्राण्ड होना पाया गया। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समस्त मूल पत्रावली दिनांक को अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की तथा श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं उपनिदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर जोन जयपुर ने पत्र कमांक / एफएसएसए/2017/437 दिनांक 03.11.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। जिसकी अनुपालना में परिवाद प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया है कि खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड बारीक बेसन (लकडाजी) विक्रय/उत्पादन करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(2) का उल्लंधन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

प्रार्थी पक्ष द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी (अभियुक्त) को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। नोटिस जारी करने पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अजय परवाल उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता ने दिनांक 02.05.2018 को अपना जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 26 (2) धारा एफएफएस एक्ट पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

पत्रावली पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ बारीक बेसन (लकडाजी) मिसब्राण्ड का विक्रय/निर्माण करके अप्रार्थीगणों ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उपधारा 2(2)का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य सरंक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगणों ने दौराने बहस नोटिस के संलग्न प्रेषित प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को गलत बताया तथा निवेदन किया कि जांच रिपोर्ट को देखने से ऐसी कोई मिलावट होना नहीं पाया गया है, जिससे आम जनता को हानिकारक हो। अप्रार्थीगण ने अपने स्तर पर किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की है पैकेजिंग

मिसब्राण्ड आने पर सुधार हेतु चेतावनी देकर शास्ति से माफी का प्रावधान है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जावे।

पत्रावली पर प्रार्थी पक्ष एवं अप्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत दलील पर गौर किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थीगणों–अभियुक्तगणों द्वारा मिसब्राण्ड का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उप धारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। अप्रार्थी पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं हुये है, जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो। अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थीगणों–अभियुक्तगणों पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध कारित होने पर शास्ती राशि रू0 5,000/–(अक्षरे पांच हजार रूपये) लगाई जाती है। अप्रार्थीगण–अभियुक्तगण जुर्माना राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड में 15 दिवस की अवधि में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा राशि जमा करा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्रार्थी पक्ष को निर्णय की प्रति पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डा. मोहन लाल यादव)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति.कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट–प्रथम जयपुर